# 24 घंटे में ईरान पर हमले के संकेत

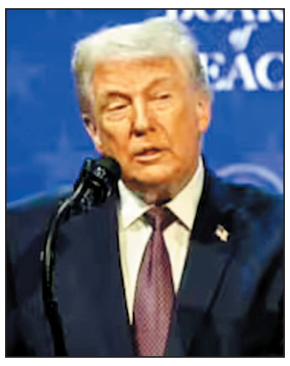

**पहले की शांति की बात अब युद्ध की तैयारी**

**अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोहरे चेहरे से दुनिया हैरान**

**वॉशिंगटन/तेहरान, 23 जनवरी. दुनियाभर में शांति स्थापना की बात करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महज 24 घंटे के भीतर ही ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं.**

अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक अमेरिकी युद्धपोतों, फाइटर जेट्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती तेज कर दी गई. वाशिंगटन इसे 'रक्षात्मक कदम' बता रहा है. यूएसएस यूएसएस अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत के नेतृत्व में एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को अरब सागर या फारस की खाड़ी की ओर भेजा जा रहा है. इस समूह में गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एक अटैक सबमरीन भी शामिल है. खास बात यह है कि यह जंगी बेड़ा अब ओपन-सोर्स ट्रैकिंग सिस्टम पर दिखाई नहीं दे रहा, जिसे आमतौर पर युद्ध-तैयारी का संकेत माना जाता है. साथ ही अमेरिका ने एफ-15ई स्ट्राइक ईगल और ए-10 थंडरबोल्ट जैसे फाइटर जेट जॉर्डन और कतर स्थित सैन्य ठिकानों पर तैनात कर दिए हैं. हवा में ईंधन भरने की क्षमता के लिए चष्ट-135 एयर टैंकर भी सक्रिय कर दिए गए हैं, जिससे अमेरिकी लड़ाकू विमानों की मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई है. मिसाइल हमलों से बचाव के लिए इज़राइल और क़तर में थाड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले से तैनात हैं.

> इन तमाम तैयारियों से साफ है कि अमेरिका केवल संभावित हमले की नहीं, बल्कि जवाबी कार्रवाई से निपटने की भी पूरी तैयारी कर चुका है. हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि यह सब एहतियाती कदम हैं और इसका उद्देश्य अमेरिकी बलों व सहयोगियों की सुरक्षा है. खुद ट्रंप ने भी कहा है कि वह सैन्य कार्रवाई से बचना चाहते हैं. लेकिन ईरान के क़रीब बढ़ती सैन्य मौजूदगी ने अंतरर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है.

## आज का इतिहास

1556 – चीन के शानसी प्रांत में भूकंप से आठ लाख से अधिक लोगों की मौत।

1826 – पहले भारतीय बैरिस्टर ज्ञानेन्द्र मोहन टैगोर का जन्म।

1857 – कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना।

1937 – बुल्गारिया और युगोस्लाविया ने मैत्री संधि पर हस्ताक्षर कर लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को खत्म किया।

1945 – सुभाष घई – हिन्दी फिल्मों के ख्यातिप्राप्त निर्माता-निर्देशक का जन्म।

1950 – 'जन गण मन...' को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया।

## इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी

**नई दिल्ली.** पिछले कुछ दिनों में फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी से जुड़े मामले बढ़ गए हैं. अभी 18 जनवरी को ही दिल्ली से सिलीगुड़ी के बागडोगरा एयरपोर्ट जा रही इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली. इंडिगो ने बयान जारी कर कहा है कि एयरक्राफ्ट के टॉयलेट में हाथ से लिखा हुआ एक नोट मिला. हाथ से इस नोट में फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इस फ्लाइट को पुणे एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा लिया गया है और सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है. इंडिगो की इस फ्लाइट को रात 8.40 बजे पुणे एयरपोर्ट पर लैंड करना था.

# इंदौर की बेटी ने डर्मेटोलॉजी की दुनिया में रचा इतिहास

▸ डॉ. नेहा सोलंकी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का मिला खिताब

**इंदौर, 23 जनवरी. त्वचा-स्वास्थ्य के प्रति जन-जागरूकता का अलख जगाने के अपने जुनून और अटूट समर्पण की बदौलत इंदौर की बेटी डॉ. नेहा सोलंकी ने विश्वपटल पर एक नया कीर्तिमान रच दिया है.**

वर्तमान में पुणे में प्रैक्टिस कर रहीं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. नेहा को आधिकारिक रूप से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया गया है, जो उनके पेशेवर सफर की एक ऐसी गौरवशाली उपलब्धि है. यह सम्मान उन्हें डिकंस्ट्रक्ट द्वारा आयोजित एक विशेष मैराथन सत्र में भागीदारी के लिए दिया गया है, जो पूरे 24 घंटे और 45 मिनट तक बिना किसी विश्राम के निरंतर चला.

डर्माथॉन नामक इस विशेष सत्र में कई जाने-माने स्किनकेयर स्पेशलिस्ट ने हिस्सा लिया. इस ऐतिहासिक मैराथन का मुख्य उद्देश्य त्वचा से जुड़ी आम समस्याओं का समाधान करना, इंटरनेट पर फैले स्किनकेयर से जुड़े भ्रामक मिथकों को वैज्ञानिक तर्कों से मिटाना और साक्ष्य-आधारित डर्मेटोलॉजिकल पद्धतियों को जन-जन तक पहुंचाना था. देशभर के शीर्ष त्वचा विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने वाला यह आयोजन त्वचा स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा और सफल समन्वित प्रयास साबित हुआ है.

इस रिकॉर्ड-ब्रेकिंग अभियान के दौरान डॉ. नेहा सोलंकी ने एक विशेषज्ञ की तरह अपनी अंतर्दृष्टि साझा की और प्रिवेंटिव डर्मेटोलॉजी (बचाव आधारित त्वचा विज्ञान) के साथ-साथ सही स्किनकेयर विकल्पों के चुनाव पर विस्तार से प्रकाश डाला.

## मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

### द्वितीय निविदा

म.प्र. लोक सेवा आयोग कार्यालय के उपयोग हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता के संदर्भ में GEM पर Open Bid की गई है GEM का Bid no. की GEM / 2026 / 8/7119200 दिनांक 21.01.2026 को अपलोड की गई है Bid की अंतिम तिथि दिनांक 05.02.2026 है।

G24828/25 स्टॉफ ऑफिसर

## कार्यालय, नगर पालिक निगम, रतलाम (म.प्र.)

क्रमांक / 1563 / लो.नि.वि./ रतलाम, दिनाक 21.01.2026

:: ई – निविदा आमंत्रण ::

नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारो से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जिसकी विस्तृत जानकारी ऑनलाईन वेबसाईड https://mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है:-

| क्र. | ऑनलाईन निविदा क्र. | कार्य का विवरण | कार्य की समयावधि एवं लागत | निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD | निविदा की अंतिम तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 477191 | वार्ड क्रमांक 11 डोंगरे नगर में मेन रोड़ से शनि मंदिर एवं अन्य गलियों में डामरीकरण रोड़ निर्माण कार्य एस्टीमेट अनुसार। (प्रथम आमंत्रण) | 1- 03 माह 2- 2322035/- | 1- 5000/- 2- 46445/- | 23-02-2026 15:30 |
| | 477192 | वार्ड क्रमांक 14 काट्जू नगर की विभिन्न सड़कों पर डामरीकरण रोड़ निर्माण कार्य एस्टीमेट अनुसार। (प्रथम आमंत्रण) | 1- 03 माह 2- 1205065/- | 1- 2000/- 2- 24105/- | 23-02-2026 15:30 |

नोट :- निविदा से संबंधित किसी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेब साईड पर ही किया जावेगा पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम, रतलाम

## सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

क्षेत्रीय कार्यालय: प्लाट नं. 160-161, पीयू-4, सी-21 माल के पीछे, स्कीम नं. 54, ए.बी. रोड, इन्दौर

### आधिपत्य की जाहिर सूचना (अचल/चल संपत्ति बाबत्)

**सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके निम्न ऋणगृहिताओं से मांग सूचना की दिनांक से **60** दिन की समयावधि में ऋण राशि अदा करने की अपेक्षा की गई थी। चूंकि ऋणगृहिताओं ने अदायगी में त्रुटी की है अत: ऋणगृहिताओं एवं जमानतदारों तथा सर्वसाधारण जनता को एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिनांक को सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया है ऋणगृहिताओं को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इस सम्पत्ति के संबंध में कोई संव्यवहार न करें यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया** के ऋणगृहिताओं के समक्ष वर्णित राशि एवं ब्याज के चार्ज (प्रभार) के अधीन होगा।

**अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अनुसार बंधक संपत्ति को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समय के संबंध में ऋणियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।**

| क्रं. | शाखा का नाम | ऋणियों/ जमानतदारों के नाम | मांग सूचना दिनांक / धारण दिनांक | अचल संपत्तियों का विवरण | ₹ बकाया राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मोती तबेला शाखा, इन्दौर | मेसर्स श्रीराम ईटरप्राईजेस, प्रो.: श्री विष्णु बिश्नोई पिता श्री राम बिश्नोई | 06.11.25 / 20.01.26 | प्लाट नं. 159, श्री विनायक टाउनशिप, ग्राम देवगुराड़िया, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर का साम्यिक बंधक, **प्लाट का क्षेत्रफल: 1500 वर्गफीट, मालिक: श्रीमती किरन बिश्नोई पिता श्रीराम बिश्नोई, चर्तु:सीमा: पूर्व:** प्लाट नं. 171, **पश्चिम:** कॉलोनी की सड़क, **उत्तर:** प्लाट नं. 160, **दक्षिण:** प्लाट नं. 158, इसके अलावा, ईएम को सब/जॉइंट रजिस्ट्रार इंदौर के पास रजिस्ट्रेशन नंबर MP179132024A1238076 के साथ 26.02.2024 को रजिस्टर किया गया था। | **50,72,466.00** + ब्याज एवं अन्य खर्चे – वसूली, अगर कोई |

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 24.01.2026 प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

## CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9 बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

### मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") को उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे उल्लिखित राशियाँ, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि(यों) से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय, सीजीसीएल को अदा करें। ऋण की उचित अदायगी हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियाँ क्रमशः सीजीसीएल के पास गिरवी रखी गई हैं।

| स. क्र. | उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम | मांग नोटिस की तिथि और राशि | सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | (ऋण खाता क्रमांक 80500017187198 एवं 80400005656451 (सनावद शाखा) (इंदौर शाखा) श्री विष्णु बोरदिया (उधारकर्ता) श्रीमती कविता बोरदिया (सह-उधारकर्ता) | 13.01.2026 रु. 40,06,338/- (08.01.2026 तक) | मकान सं. 925, क्षेत्रफल 1520 वर्ग फुट, मकान सं. 21, वार्ड संख्या 1, ग्राम पंचायत बेदिया, तहसील सनावड़, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश-451113 में स्थित आवासीय संपत्ति का पूरा टुकड़ा और भाग। पूर्व में बाबू मुरार जी का बाड़ा, पश्चिम में सामान्य सड़क, उत्तर में सामान्य सड़क और दक्षिण में रमेशचंद्र दुबे का मकान। संपत्ति सं. 2: प्लॉट/मकान सं. 56 और 57, क्षेत्रफल 1102 वर्ग फुट, साइड सर्वे सं. 332, ग्राम पंचायत बेदिया, पटवारी हल्का संख्या 82 (पुराना) नया पटवारी हल्का संख्या 21, तहसील सनावड़, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश-451113। पूर्व में सेवकराम की भूमि, पश्चिम में सामान्य सड़क, उत्तर में लामिनारायण का भूखंड और दक्षिण में भूखंड सं. 47 एवं 48 से घिरा हुआ है। |
| 2. | (ऋण खाता संख्या LNMESAJ000111131 (पुराना) 80300005920393 (नया) (शाजापुर शाखा) श्री शब्बर अली (ऋणकर्ता) स्वर्गीय श्री कासिम अली (उनके कानूनी वारिसों के माध्यम से), श्रीमती रुकैया बाई (सह-ऋणकर्ता) | 14.01.2026 रु. 46,80,437/- (14.01.2026 तक) | मकान संख्या 26, क्षेत्रफल 728 वर्ग फुट, वार्ड संख्या 23 (नया), पुराना वार्ड संख्या 18, तिलक मार्ग किला रोड (मुख्य सड़क), नगर पालिका, तहसील और जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश 465001 में स्थित वह भूमि और भवन, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः सड़क, दक्षिणः मथुरा लाल राठौर का मकान, पूर्वः अब्दुल हुसैन की दुकान, पश्चिमः दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव का मकान। |

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीसीएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उक्त उधारकताओं का होगा। अधिनियम के तहत, उक्त उधारकताओं को सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए एक्टर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा।

स्थानः इंदौर
दिनांकः 24.01.2026

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी)
कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए

## CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

### मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित। नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)" को उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर सीजीएचएफएल को नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि से लेकर भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज भी देना होगा, जो उक्त उधारकर्ता द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों के साथ पढ़े गए ऋण समझौते के तहत देय होगा। ऋण की उचित चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, उक्त उधारकर्ता द्वारा सीजीएचएफएल को क्रमशः निम्नलिखित संपत्तियां गिरवी रखी गई हैं।

| स. क्र. | उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम | मांग नोटिस की तिथि और राशि | सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | (ऋण खाता संख्या LNHLKHA000030738 एवं 1. 50300000790903 (पुराना) LNHEKHA000066692 (पुराना) 50400000563814 (नया) (खरगोन शाखा) श्री पप्पू राठौड़ (उधारकर्ता) श्री भगवान राठौड़, श्रीमती कविता बाई (सह-उधारकर्ता), श्री अमर सिंह (गारंटर) | 09.01.2026 रु. 13,52,294/- (05.01.2026 तक) | मकान संख्या 410, भूमि और भवन सहित संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और भाग, जिसका क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट (83.64 वर्ग मीटर के बराबर) है, पी.एच. संख्या 12, सेटलमेंट संख्या 53, ग्राम चिचरिया पति, ब्लॉक और तहसील सेंधवा, जिला बरवानी, मध्य प्रदेश - 451666, निम्नलिखित सीमाओं से घिरा है: पूर्वः पप्पू राठौड़ की भूमि, पश्चिमः साझा सड़क, उत्तरः साझा सड़क, दक्षिणः संपत का प्लॉट |
| 2. | (ऋण खाता संख्या LNHEUJ1000141276 (पुराना) 50700000616561 (नया) LNHLUJN000070458 (पुराना) 50300000956270 (नया) (उज्जैन शाखा) श्री राहुल लोदवाल पुत्र धिसुलाल लोदवाल (उधारकर्ता) श्री धिसू लोदवाल पुत्र हीरालाल लोदवाल, श्रीमती आशाबाई लोदवाल, श्री महेश लोदवाल (सह-उधारकर्ता) | 12.01.2026 रु. 7,54,836/- (05.01.2026 तक | पंचायत मकान संख्या 111, क्षेत्रफल 1125 वर्ग फुट, पीएच संख्या 58, ग्राम सुरजनवासा, तहसील और जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456661 की वह भूमि और भवन, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः हीरालाल जी का घर, दक्षिणः राजारामजी का घर, पूर्वः राधा का घर, पश्चिमः सड़क |
| 3. | (ऋण खाता संख्या LNHLAGA000075035 (पुराना) 50300000617894 (नया) (आगर मालवा शाखा) श्री राम बाबू धाकड़ (उधारकर्ता) श्री नीलेश धाकड़, श्रीमती भूली बाई धाकड़ (सह-उधारकर्ता) | 09.01.2026 रु. 6,26,236/- (05.01.2026 तक) | मध्य प्रदेश- 465445, जिला अगर मालवा, तहसील नलखेड़ा, ग्राम सेमली में स्थित मकान संख्या 171, क्षेत्रफल 55.76 वर्ग मीटर (600 वर्ग फुट), वार्ड संख्या 10, सार्वजनिक गृह संख्या 42, की वह पूरी संपत्ति, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः श्री बद्रीलाल भंवरलाल का बाड़ा, दक्षिणः श्री हरिनारायण का मकान, पूर्वः सड़क, पश्चिमः होकम बाबूलाल का मकान |
| 4. | (ऋण खाता संख्या LNHLIDR000085913 (पुराना) 50300000756709 (नया) (इंदौर शाखा) श्री उमेश पंवार (ऋणकर्ता) श्रीमती निधि सैनी (सह-ऋणकर्ता) | 12.01.2026 रु. 10,03,273/- (05.01.2026 तक) | मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के देपालपुर तहसील के बेतमा गांव में स्थित ओशन पर्ल रेजिडेंसी कॉलोनी में प्लॉट संख्या 134 के उत्तरी भाग में स्थित, 625 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली, आवासीय संपत्ति, जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं, की सभी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः प्लॉट संख्या 133, दक्षिणः इस प्लॉट का शेष भाग, पूर्वः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः सड़क। |
| 5. | (ऋण खाता संख्या LNHLAGA000062531 (पुराना) 50300000612573 (नया) (आगर मालवा शाखा) श्री कमल सिंह गुर्जर (उधारकर्ता) श्रीमती साजन बाई गुर्जर, श्री विक्रम सिंह गुर्जर, श्रीमती प्रकाश बाई गुर्जर, श्री बने सिंह गुर्जर (सह-उधारकर्ता) | 12.01.2026 रु. 11,01,313/- (05.01.2026 तक) | मध्य प्रदेश के अगर मालवा जिले के नलखेड़ा तहसील के श्रीनाथ कॉलोनी स्थित श्रीनाथ कॉलोनी में स्थित 1500 वर्ग फुट (139.40 वर्ग मीटर) क्षेत्रफल वाली आवासीय संपत्ति का वह भाग, जिसमें भूमि और भवन शामिल हैं, जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तरः विक्रेता द्वारा छोड़ी गई 18 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिणः विक्रेता द्वारा छोड़ी गई 18 फुट चौड़ी सड़क, पूर्वः विक्रेता का भूखंड, पश्चिमः विक्रेता का भूखंड। |

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीएचएफएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीएचएफएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से उक्त उधारकताओं के लागत और परिणामों के जोखिम पर होगी। उक्त उधारकताओं को अधिनियम के तहत सीजीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अभिनेता नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, अधिनियम के तहत प्रदान किए गए कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थानः इंदौर
दिनांकः 24.01.2026

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी),
केप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के लिए

## इंडियन बैंक Indian Bank

इंडियन बैंक, कालानी नगर शाखा : शॉप नं.2, ब्लॉक-ए, सीता श्री रेसीडेंसी, एयरपोर्ट रोड़, कालानी नगर, इंदौर (म.प्र.)

### परिशिष्ठ - 4 {नियम-8(1)} आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधो-हस्ताक्षरकर्ता ने **इंडियन बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 का सपठित नियम 8 & 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में **ऋणी मेसर्स अमित इंटरप्राईजेस (प्रोप्रा. श्री भुवनेश्वर मिश्रा पिता जीवन मिश्रा) (ऋणी), भुवनेश्वर मिश्रा पिता जीवन मिश्रा श्रीमती उषा मिश्रा पति भुवनेश्वर मिश्रा (सह-ऋणी)** को हमारी **कालानी नगर शाखा** से मांगनी करते हुए मांग सूचना पत्र **दिनांक 23.10.2025** (दिनांक 15-11-2025 को अखबार में भी प्रकाशित किया गया था) उक्त सूचना पत्र की दिनांक से **60 दिवस** के भीतर सूचना पत्र में उल्लेखित राशि **रु. 2,38,64,468/- (रुपये दो करोड़ अड़तीस लाख चौंसठ हजार चार सौ अड़सठ मात्र)** उस पर ब्याज और आगे ब्याज के साथ लौटाने के लिए निर्गमित किया।

ऋणी के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी एवं सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 व 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति को **आधिपत्य दिनांक 19 जनवरी 2026** को ग्रहण कर लिया है।

ऋणी/जमानतदार/बंधककर्ता को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई संव्यवहार न करें तथा यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **रु. 2,38,64,468/- (रुपये दो करोड़ अड़तीस लाख चौंसठ हजार चार सौ अड़सठ मात्र)** एवं उस पर ब्याज के लिए इंडियन बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

**"हम सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो प्रतिभूतियों पर आपके ऋणमुक्ति के अधिकारों से संबंधित हैं"।** अचल सम्पत्ति का विवरण

प्लॉट नं. 942, ब्लॉक-ए, ग्राम छोटा बांगडदा, इन्दौर (म.प्र.)-452005, **संपत्ति स्वामी का नाम : श्री भुवनेश्वर मिश्रा एवं श्री उषा मिश्रा, चर्तु:सीमाः** पूर्वः अन्य प्लॉट, पश्चिमः रोड, उत्तरः प्लॉट नं. ए-943, दक्षिणः प्लॉट नं. ए-941

दिनांक : 24.01.2026
स्थान : इन्दौर

प्राधिकृत अधिकारी
इंडियन बैंक

## कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग जूनी इन्दौर (म. प्र.)

(कक्ष क्रमांक 204 कार्यालय कलेक्टर जिला इन्दौर)

(विज्ञप्ति)

क्रमांक / 3255/ रि. एस. डी. ओ. - 1 / 26
इन्दौर, दिनांक- 21/01/2026

प्रकरण क्रमांक 0095 / अपील / 2025-26

1- दिलीप पिता मानमल मेहता, पता 75, सी संगम नगर किला मैदान इन्दौर ....अपीलार्थी

विरूद्ध

1- मणकचंद पिता चौथमल मोदी मृतक तर्फे वारिस अ - मोतिलाल पिता स्व. माणकचंद, ब - हिरालाल पिता स्व. माणकचंद, स- विरेन्द्र पिता स्व. माणकचंद, द- महेश पिता स्व. माणकचंद, पता 22, श्रद्धानंद मार्ग छावनी इन्दौर ... प्रतिप्रार्थी

आवेदक दिलीप पिता मानमल मेहता पता 75, सी संगम नगर किला मैदान इन्दौर द्वारा ग्राम नायतामुण्डला तहसील जूनी इन्दौर जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 35, 40 एवं 41 रकबा 3.113 हे भूमि पर नायब तहसीलदार तहसील जूनी इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 0079/अ-3/2007-08 आदेश दिनांक 07.10.2008 से असंतुष्ट होकर म. प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 44 (1) अर्न्तगत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त के संबंध में किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो न्यायालय में उपस्थित होकर पेशी दिनांक 02/02/ 2026 को शाम 4:00 बजे कलेक्टर कार्यालय कक्ष कमांक 204 में समक्ष में प्रस्तुत कर सकता है। मियाद अवधि बाहर आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई कार्यवाही नही की जावेगी। आज दिनांक 21/01/2026 को जारी।

अनुविभागीय अधिकारी
अनुभाग जूनी इंदौर

## कार्यालय नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन (म.प्र.)

Telephone no- 07285-231360 / cmokasrawad@mpurban.gov.in

क्रमांक / 136 / राजस्व / 2026 कसरावद, दिनांकः 23/01/2026

**आपत्ति इस्तिहार विज्ञप्ति दुकान नामातंरण हेतु**

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद कसरावद जिला खरगोन म.प्र. निकाय की दुकानों के नामातंरण हेतु आवेदको द्वारा तालिका अनुसार निम्नलिखित दुकान नामांतरण आवेदन प्रस्तुत किये गये है। जो नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 109 के तहत बने अचल सम्पत्ति अंतरण अधिनियम दिनांक 28.02.2016 के अनुसार दुकानो का अन्तरण किया जाना है। दुकान अंतरण में जिस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो लिखित में मय दस्तावेज सहित वह आपत्ति इस्तिहार विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर नगर परिषद कसरावद में प्रस्तुत करें। बाद अवधी समाप्ति के पश्चात् निकाय द्वारा अनुक्रमांक 01 से 07 तक प्रस्तुत दुकान नामांतरण प्रकरणो मे अगामी कार्यवाही की जाकर स्वीकृती प्रदान की जावेगी तथा अवधि के पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं होगा।

| अनु. क्रं. | नामातंरण करवाने वाले आवेदक का नाम / पता | नगर परिषद कसरावद के कॉम्प्लेक्स में दर्ज दुकानदार का नाम | दुकान का पुर्ण पता व कॉम्पलेक्स | आधार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री दिपक पिता विजयसिंह राठोर निवासी छोटी कसरावद तह, कसरावद, जिला खरगोन म.प्र. | श्री हुजेफा हमिद पिता शब्बीर अलि बोहरा निवासी हा.मु. बिजलपुर इन्दौर म.प्र | नवीन बस स्टेण्ड कॉम्प्लेक्स दुकान नं. 19 | आवेदन /शपथ पत्र/सौदा चिट्ठी |
| 2 | श्री बबन पिता तुलसीराम यादव निवासी कसरावद तह कसरावद, जिला खरगोन म.प्र. | श्री मंशाराम मुकाती पिता चिंताराम मुकाती निवासी काकरीयांव तह. कसरावद, जिला खरगोन म.प्र. | नवीन बस स्टेण्ड कॉम्प्लेक्स दुकान नं. 08 | आवेदन /शपथ पत्र/सौदा चिट्ठी |
| 3 | श्री संजीव पिता सुरेशचन्द्र जी मोयदे निवासी मण्डलेश्वर तह, महेश्वर, जिला खरगोन म.प्र. | श्रीमती उषा पति सुरेशचन्द्र जी मोयदे निवासी मण्डलेश्वर तह. महेश्वर, जिला खरगोन म.प्र. | नवीन बस स्टेण्ड कॉम्प्लेक्स दुकान नं. 07 | आवेदन रजिस्टर्ड वसीयत नामा |
| 4 | श्री सुरेश पिता नत्थु जी पाटीदार वार्ड 09 कसरावद तह, कसरावद, जिला - खरगोन म.प्र. | श्री अशोक पिता सुरेश पाटीदार बोहरा निवासी वार्ड 09 कसरावद तह कसरावद जिला - खरगोन म.प्र. | इन्दौर रोड कॉम्पलेक्स दुकान नं 11 | आवेदन / शपथ पत्र (मृतक नामांतरण) |
| 5 | श्री राजेश पिता बाबुलाल प्रजापत वार्ड 09 कसरावद तह. कसरावद, जिला - खरगोन म.प्र. | श्री दीपक पिता सुंदरलाल सानी निवासी वार्ड 02 कसरावद तह. कसरावद, जिला खरगोन म.प्र. | नवीन बस स्टेण्ड कॉम्प्लेक्स दुकान नं. 21 | आवेदन /शपथ पत्र/सौदा चिट्ठी |
| 6 | श्री नितिन पिता रामकरण यादव वार्ड 12 कसरावद तह कसरावद, जिला खरगोन म.प्र. | श्री जितेन्द्र पिता भुवानेसिंह राजपुत निवासी डेडगाव तह, कसरावद, जिला खरगोन म.प्र. | नवीन बस स्टेण्ड सामुदायीक भवन के पास कॉम्प्लेक्स दुकान नं 04 | आवेदन /शपथ पत्र/सौदा चिट्ठी |
| 7 | श्री अर्पित पिता अजय कुशवाह वार्ड 12 कसरावद तह. कसरावद जिला खरगोन म.प्र. | श्री मकबुल एहमद खान पिता मेहबुब खान निवासी वार्ड क्रमांक 04 नया नगर कसरावद | इन्दौर रोड़ काम्पलेक्स की दुकान क्रमांक 29 | आवेदन /शपथ पत्र/सौदा चिट्ठी |

अध्यक्ष
नगर परिषद कसरावद

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद कसरावद

## आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड Aadhar Housing Finance Ltd

**कार्पोरेट कार्यालय :** युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.

**उज्जैन शाखा:** 06/ प्रथम मंजिल, कमला नेहरू मार्ग, फ्रीगंज, आईडीबीआई बैंक के ऊपर, शहीद पार्क के पास, उज्जैन 456010 (म.प्र.)

**नीमच शाखा:** ग्राउंड फ्लोर, वल्लभ भवन 6, विकास नगर, अम्बेडकर नगर, नीमच-458441 (मध्य प्रदेश)

**मंदसौर शाखा:** मकान नं. 164, गांधी मार्केट वार्ड- 13, यशोधाम मार्ग, जोन नं.07, नूतन स्कूल के सामने, मंदसौर 458001 (म. प्र.)

**रतलाम शाखा:** ग्राउंड फ्लोर, 19, पैलेस रोड, चिंतामन गणेश मंदिर के सामने, रतलाम 457001 (म.प्र.)

**इंदौर शाखा:** प्लॉट नंबर 4 एवं 5, दुकान नंबर 105,107,109, प्रथम मंजिल, शेखर सेंट्रल, पलासिया स्क्वायर, मनोरमागंज, ए.बी. रोड, इंदौर-452001 (मध्य प्रदेश)

### आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

| क्रं. | ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता (ओ)(शाखा का नाम) | धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति) | मांग सूचना का दिनांक एवं राशि | आधिपत्य का दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (लोन कोड नं. 02000000331 / उज्जैन शाखा) अनिता सतपाड़िया (ऋणी), मनोज कुमार झाला (जमानतदार) | संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नंबर 2567 2 सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के पास, शिक्षक कॉलोनी बदनावर रोड, उज्जैन म.प्र. 456771 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - सड़क, पश्चिम - सड.क, उत्तर - पंचाल जी का खाली प्लॉट, दक्षिण - ज्योति शर्मा की खाली भूमि | 10-04-2024 & ₹ 5,87,991/- | 22-01-2026 |
| 2 | लोन नं. 14400000184 / नीमच शाखा) अर्जुन धनगर (ऋणी) मोनिका धनगर (सह-ऋणी) | संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, 574 / 1/1 पेकी बाबा रामदेव वार्ड पटवारी हल्का नंबर 33 सर्वे नंबर 574 /1 /1 पेकी बाबा रामदेव वार्ड नंबर 01 जिला नीमच, मध्य प्रदेश - 458110 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - उक्त सर्वे नंबर की भूमि, पश्चिम - सड़क, उत्तर - विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिण - अनिल धनगर की बेची गई भूमि | 09-05-2025 & ₹ 3,37,548/- | 21-01-2026 |
| 3 | (लोन कोड नं. 11000000364 / मंदसौर शाखा) राजीव कुमार पांचाल (ऋणी) सविता (सह-ऋणी) | संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, विवेकानंद नगर पश्चिम भाग प्लॉट नंबर 144 वार्ड नंबर 13 मनासा, नीमच, मध्य प्रदेश 458110 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - प्लॉट नंबर 144 का शेष भाग, पश्चिम - प्लॉट नंबर 143, उत्तर - प्लॉट नंबर 128, दक्षिण - सड़क | 06-11-2024 & ₹ 8,47,593/- | 21-01-2026 |
| 4 | (लोन कोड नं. 02200000910/ रतलाम शाखा) रिजवान खान (ऋणी) फरजान बी (सह-ऋणी) दिनेश पारगी (जमानतदार) | संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नं.009, प्लॉट नं. 10 का दक्षिणी भाग, सूरजमल जैन नगर, उंकला रोड के पास, रतलाम, मध्य प्रदेश, 457001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - सड़क, पश्चिम - अन्य का प्लॉट, उत्तर - नासिर जी के उक्त प्लॉट का शेष भाग, दक्षिण - नूरमोहम्मद जी की खुली भूमि | 06-10-2025 & ₹ 5,61,785/- | 21-01-2026 |
| 5 | (लोन कोड नं. 02210000806/ रतलाम शाखा) कुलदीप सिसोदिया (ऋणी) बबीता वो (सह-ऋणी) | संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जीएफ एवं एफएफ अर्जुन नगर कॉलोनी, रतलाम अर्जुन नगर मेन रोड वार्ड नंबर 28 प्लॉट नं.07 एलआईजी, रतलाम, म.प्र. 457001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - प्लॉट नं.34 एवं 33, पश्चिम - कॉलोनी रोड, उत्तर - प्लॉट नं.6, दक्षिण - प्लॉट नं.8 | 09-10-2025 & ₹ 10,99,633/- | 21-01-2026 |
| 6 | (लोन कोड नं. 02210000897/ रतलाम शाखा) दिनेश राठौर (ऋणी) तुषार राठौर (सह-ऋणी) | संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नं.91/3 एवं 92/1/2 ग्राउंड फ्लोर शिव नगर के पास (रेल नगर) रेल नगर मेन रोड वार्ड नंबर 6 रतलाम मध्य प्रदेश 457001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - अन्य भूमि, पश्चिम - प्रेमलता खंडेलवाल का मकान, उत्तर - मनीष घोसर का मकान, दक्षिण - सड़क | 09-10-2025 & ₹ 15,25,124/- | 21-01-2026 |
| 7 | (लोन कोड नं. 00300004410/ इंदौर शाखा) बाबूलाल (ऋणी) ज्योति चौहान (सह-ऋणी) | संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नंबर 53/1 प्राइवेट प्लॉट नंबर 53 पटवारी हल्का नंबर 13 अनुकंपा नगर वार्ड नंबर 18 ग्राम रेवती, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - प्लॉट नंबर 44, पश्चिम - सड़क, उत्तर - प्लॉट नंबर 52, दक्षिण - प्लॉट नंबर 54 | 06-11-2025 & ₹ 4,21,785/- | 21-01-2026 |

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 24-01-2026

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड